



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

124/1997
1/3/97

सं. 84]
No. 84]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1997/फाल्गुन 10, 1918
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1997/PHALGUNA 10, 1918

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1997

सा. का. नि. 126 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप संशोधन नियम, 1997 है ।
- (2) ये 1 मार्च, 1997 को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध-क में प्ररूप सं. 34-कक और प्ररूप सं. 34-ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(कृपया प्ररूप सं. 34-कक धारा 370 देखिए)

अनुदेश

1. सभी प्रकार से पूरा किया गया आवेदन सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, 5वां तल, ए विंग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाए ।
2. आवेदन प्ररूप के साथ कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1968 के अनुसार सद्दत अपेक्षित फीस की रकम/संदाय के साक्ष्यों के साथ भेजा जाना चाहिए । फीस का संदाय अधिमानतः दिल्ली में संदेय वेतन और लेखा अधिकारी कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से किया जाएगा ।

1. कंपनी की प्रधिकृत पूंजी.....रु.
2. संदत्त फीस की रकम.....रु.

3. मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर चैक/चालान के ब्यौरे
 बैंक.....
 स्टेशन.....
 सं.....
 तारीख.....

(तारीख.....को यथा विद्यमान)

विशिष्टियां	उधार दाता कंपनी (आवेदक कंपनी)	उधार ग्राहीता कंपनी (जिस विस्तार तक लागू हो)
1	2	3
4. नाम और पता		
5. वर्तमान कारबार		
6. पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित लाभ/हुई हानि		
7. प्रबंध अवसंरचना और शेयर धारण पैटर्न	आवेदन के साथ संलग्न किया।	आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
8. दिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की रकम और किस प्रयोजन के लिए		
9. प्रभारित किए जाने वाले प्रस्तावित ब्याज की दर		
10. उधारगृहीता द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूति की प्रकृति और मूल्य		
11. क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप या उसके भाग या उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय करने में कोई व्यतिक्रम हुआ है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे बताइए।		
12. क्या आवेदक कंपनी ने अपेक्षित विशेष संकल्प पारित किया है, यदि हां तो संकल्प की एक प्रति संलग्न करें।		
13. आवेदक कंपनी की तारीख.....को यथा विद्यमान निधियों की उपलब्धता		
ब्यौरे	रकम	टिप्पणियां
1	2	3
(क) प्रतिश्रुत पूंजी/समादत्त पूंजी		
(ख) खुली आरक्षितियां (सूचीबद्ध की जानी है)		

- (ग) कुल
 (घ) वर्तमान विनिधान
 (ङ) कंपनी द्वारा पहले ही
 उधार दिए गए ऋण/
 निक्षेप
 (च) इस परियोजना के लिए
 ऋण की रकम
 (छ) कुल (ङ + च + छ)
 (ज) स्तंभ (छ) की स्तंभ (ग)
 की तुलना में प्रतिशत

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान—-----

तारीख—-----

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

(कृपया प्ररूप सं. 34 ख धारा 372 देखिए)

अनुदेश

- सभी प्रकार से पूरा किया गया आवेदन सचिव, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, 5वां तल, ए विंग नई दिल्ली 110001 को भेजा जाए ।
- आवेदन प्ररूप के साथ कंपनी (आवेदनों पर फीस) नियम, 1968 के अनुसार संदत्त अपेक्षित फीस की रकम/संदाय के साक्ष्यों के साथ भेजा जाना चाहिए । फीस का संदाय अधिमानतः दिल्ली में संदेय वेतन और लेखा अधिकारी कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से किया जाएगा ।

- कंपनी की प्राधिकृत पूंजी-----रु.
- संदत्त फीस की रकम-----रु.
- मांग देय ड्राफ्ट/बैंकर चेक/चालान के ब्यौरे

बैंक :

स्टेशन :

सं. :

तारीख :

विशिष्टियां	विनिधानकर्ता कंपनी (आवेदक कंपनी)	अन्य निगमित कंपनी (विनिधानग्रहीता कंपनी)
1	2	3

(ग) निर्यात-आयात बैंक ऋण :

(घ) नाम आस्तियों/संपत्ति/व्यापारिक :

5. कार्य के अन्तरण द्वारा

(ड) ———अन्य ढंग

6. शेयर धारण पैटर्न

(आवेदन के साथ संलग्न
किया जाना है)(आवेदन के साथ संलग्न
किया जाना है)

योग

7. क्या सूचीबद्ध है

8. प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे (अर्जित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, प्रीमियम (यदि कोई है) और कुल मूल्य उपदर्शित करें)
9. वे स्रोत जिनसे विनिधान के वित्त पोषण का प्रस्ताव है :

रकम— — — — —र./अमरीकी डालर

- (क) आन्तरिक प्रोदभवन से :
- (ख) पूंजी आधार के विस्तार द्वारा :
- (ग) निर्यात-आयात बैंक ऋण :
- (घ) आस्तियों/संपत्ति/व्यापारिक कार्य
के अन्तरण द्वारा
- (ड) कोई अन्य ढंग (विनिर्दिष्ट करें) :

योग

10. क्या प्रस्तावित विनिधान करने के लिए आवेदक कंपनी के सदस्यों और निदेशक बोर्ड ने धारा 372 (4) और धारा 372(5) के अधीन यथा अपेक्षित संकल्प पारित किया है ?

11. यदि विनिधान गृहीता कंपनी नई परियोजना पर कार्य आरंभ करना चाहती है तो प्रचालन के बृहत क्षेत्र उपदर्शित करें ।
12. विनिधान गृहीता कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन (उस दशा में प्रस्तुत करना है जहां शेयर प्रीमियम पर अर्जित किए जा रहे हैं अथवा जब तब विनिधान गृहीता कंपनी घाटे में चल रही है । चार्टर्ड एकाउंटेंट/अनुमोदित मूल्यांकन का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- (i) बाजार मूल्य
- (ii) प्राप्त मूल्य
- (iii) अवशिष्ट मूल्य
- (iv) उचित मूल्य

13. उचित मूल्य से प्रीमियम/उच्चतर मूल्य पर शेयरों के क्रय का न्यायोचित्य

14. आवेदक कंपनी की —————तारीख —————को यथा विद्यमान निधियों की उपलब्धता

ब्यौरे	रकम	टिप्पणियां
1	2	3

- (क) प्रतिशत पूंजी/समादत्त पूंजी
- (ख) खुली आरक्षितियां (सूचीबद्ध की जानी है)
- (ग) कुल
- (घ) कंपनी द्वारा पहले ही उधार दिए गए ऋण/निक्षेप
- (च) वर्तमान विनिधान
- (छ) कुल (घ+ड+च)
- (ज) स्तंभ (छ) की स्तंभ (ड) की तुलना में प्रतिशतता

15. यदि आवेदक कंपनी के पास पहले से ही विनिधान गृहीता कंपनी के शेयर हैं तो, विनिधान गृहीता कंपनी की कुल समादत्त शेयर पूंजी की तुलना में उक्त शेयरों की प्रतिशतता उपदर्शित करें ।

16. क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी निक्षेप के अथवा उसके किसी भाग अथवा उस पर किसी ब्याज का प्रतिसंदाय करने में कोई व्यतिक्रम हुआ है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे बताइए ।

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जिस विस्तार तक लागू हो)

- (1) आवेदक कंपनी और विनिधान गृहीता कंपनी की लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें सहित संपरीक्षित लेखाओं और निदेशकों की उपलब्ध दोनों अद्यतन रिपोर्टें ।
- (2) आवेदक कंपनी द्वारा धारा 372 (4) और धारा 372 (5) के अधीन पारित संकल्पों की प्रतियां ।
- (3) विनिधान गृहीता कंपनी द्वारा धारा 81 (1क) के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति ।
- (4) उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेशी सहयोग करार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां ।
- (5) जहां पर व्यापारिक कार्यों का अन्तर्गण किया गया है तो धारा 293 के अधीन संकल्प (संकल्पों) की प्रतियां ।

सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और संलग्न दस्तावेजों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान :

तारीख :

मोहर :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

[फा. सं. 1/4/97-सी.एल. 5]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य नियम का.नि.आ. नं. 432 दिनांक 18-2-56 के द्वारा छपे थे व संशोधित हुए :—

1. का. नि.आ. 2535 दिनांक 1-1-1956
2. का. नि.आ. 3135 दिनांक 21-12-1956
3. का. नि.आ. 237 दिनांक 19-1-1957
4. का. नि.आ. 2105 दिनांक 29-4-1957
5. का. नि.आ. 3038 दिनांक 28-9-1957
6. का. नि.आ. 3867 दिनांक 7-12-1957
7. सा. का. नि. 48 दिनांक 22-2-1958
8. सा. का. नि. 723 दिनांक 23-8-1958
9. सा. का. नि. 750 दिनांक 30-8-1958
10. सा. का. नि. 1026 दिनांक 1-11-1958
11. सा. का. नि. 14 दिनांक 3-1-1959
12. सा. का. नि. 548 दिनांक 9-5-1959
13. सा. का. नि. 1140 दिनांक 17-10-1959
14. सा. का. नि. 1224 दिनांक 7-11-1959
15. सा. का. नि. 1364 दिनांक 12-12-1959
16. सा. का. नि. 220 दिनांक 27-2-1960
17. सा. का. नि. 595 दिनांक 28-5-1960
18. सा. का. नि. 195 दिनांक 18-2-1961
19. सा. का. नि. 814 दिनांक 24-6-1961
20. सा. का. नि. 1105 दिनांक 9-9-1961
21. सा. का. नि. 1408 दिनांक 25-11-1961
22. सा. का. नि. 653 दिनांक 12-5-1962
23. सा. का. नि. 344 दिनांक 2-3-1963
24. सा. का. नि. 628 दिनांक 13-4-1963
25. सा. का. नि. 97 दिनांक 16-1-1965
26. सा. का. नि. 822 दिनांक 12-6-1965

5/5/97/2

27. सा. का. नि. 1570 दिनांक 30-10-1965
28. सा. का. नि. 368 दिनांक 19-3-1966
29. सा. का. नि. 421 दिनांक 18-3-1966
30. सा. का. नि. 499 दिनांक 9-4-1966
31. सा. का. नि. 743 दिनांक 21-5-1966
32. सा. का. नि. 847 दिनांक 4-6-1966
33. सा. का. नि. 1266 दिनांक 13-8-1966
34. सा. का. नि. 130 दिनांक 20-1-1968
35. सा. का. नि. 667 दिनांक 30-6-1973
36. सा. का. नि. 327(अ) दिनांक 10-6-1975
37. सा. का. नि. 414(अ) दिनांक 16-7-1975
38. सा. का. नि. 2596 दिनांक 1-11-1975
39. सा. का. नि. 2828 दिनांक 13-12-1975
40. सा. का. नि. 154 दिनांक 31-1-1976
41. सा. का. नि. 248(अ) दिनांक 24-3-1976
42. सा. का. नि. 627 दिनांक 14-5-1977
43. सा. का. नि. 24(अ) दिनांक 9-1-1979
44. सा. का. नि. 1256 दिनांक 6-10-1979
45. सा. का. नि. 555(अ) दिनांक 4-9-1982
46. सा. का. नि. 479(अ) दिनांक 22-4-1988
47. सा. का. नि. 694(अ) दिनांक 10-6-1988
48. सा. का. नि. 782(अ) दिनांक 13-7-1988
49. सा. का. नि. 908(अ) दिनांक 7-9-1988
50. सा. का. नि. 1032(अ) दिनांक 26-10-1988
51. सा. का. नि. 449(अ) दिनांक 17-4-1989
52. सा. का. नि. 510(अ) दिनांक 24-5-1990
53. सा. का. नि. 795(अ) दिनांक 18-9-1990
54. सा. का. नि. 289(अ) दिनांक 31-5-1991
55. सा. का. नि. 614(अ) दिनांक 3-10-1991
56. सा. का. नि. 754(अ) दिनांक 26-12-1991
57. सा. का. नि. 312(अ) दिनांक 6-3-1992
58. सा. का. नि. 353(अ) दिनांक 26-3-1992
59. सा. का. नि. 484(अ) दिनांक 11-5-1992
60. सा. का. नि. 581(अ) दिनांक 27-8-1993
61. सा. का. नि. 621(अ) दिनांक 24-9-1993
62. सा. का. नि. 286(अ) दिनांक 1-3-1994
63. सा. का. नि. 598(अ) दिनांक 28-7-1994
64. सा. का. नि. 697(अ) दिनांक 20-9-1994
65. सा. का. नि. 283(अ) दिनांक 21-3-1995
66. सा. का. नि. 424(अ) दिनांक 26-5-1995
67. सा. का. नि. 251(अ) दिनांक 21-6-1996
68. सा. का. नि. 97(अ) दिनांक 28-2-1997

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1997

G.S.R. 126 (E).— In exercise of powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

(1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, (second amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force on the first day of March, 1997.

2. In Annexure-A to the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, for Form No. 34-AA and Form No. 34-B the following Forms shall be substituted, namely:—

FORM NO. 34-AA

(Please see Section 370)

Instructions

1. Application complete in all respects to be sent to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, 5th floor, "A" Wing, New Delhi -110001.
2. The application form should be accompanied by the requisite amount of fee/evidences of payment of fee paid in terms of the Companies (Fees on applications) Rules, 1968. Fee be preferably paid by Bank Draft/Banker's Cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi", payable at Delhi.

1. Authorised Capital of the Co. Rs. _____

2. Amount of Fee paid Rs. _____

3. Details of DD/Bankers' Cheque/Challan:

Bank :

Station :

No. :

Date :

(As on : _____)

Particulars	Lending Company (Applicant Company)	Borrowing Company (to the extent applicable)
1	2	3
4. Name and address		
5. Existing business		
6. Profit earned/Losses suffered during last 3 years		
7. Management Structure and Share-holding pattern	(to be attached alongwith the application)	(to be attached alongwith the application)
8. Amount of loan proposed to be given and for what purpose:		
9. Rate of interest proposed to be charged.		

1	2	4
10. Nature and value of Security offered by the borrower.		
11. Whether there has been any default in the repayment of any deposit or part thereof or any interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit referred to in Section 58A of the Companies Act, 1956. If yes, the details thereof		
12. Whether the applicant Company has passed the requisite special resolution; if so, a copy of the resolution is to be attached.		
13. Availability of funds with the applicant Company:		
As on		
Details	Amount	Remarks
1	2	3
(a) Subscribed capital/paid up capital		
(b) Free reserves (to be listed)		
(c) Total:		
(d) Existing Investments		
(e) Loans/deposits already lent by the Company		
(f) Amount of Loan involved in this proposal.		
(g) Total (e + f + g)		
(h) Percentage of Column (g) in relation to Column (c)		

VERIFICATION

It is hereby certified that the information given above and in the attached documents are true to the best of my knowledge and belief.

Station:

Signature

Date:

Designation

FORM NO. 34B

(Please see Section 372)

Instructions

1. Application complete in all respects to be sent to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, 5th, Floor "A" Wing, New Delhi 110001.
2. The application Form should be accompanied by the requisite amount of fee/evidences of payment of fee paid terms of the Companies (Fees on Applications) Rules, 1968. Fee be preferably paid by Bank Draft/Banker's Cheque in favour of the "Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi", payable at Delhi.

1. Authorised Capital of the Company

Rs. _____

2. Amount of Fee paid Rs. _____

3. Details of DD/Banker's Cheque/Challan:

Bank :

Station:

No. :

Date. :

Particulars	Investing Company (Applicant Company)	Other body Corporate (Investee Company)
1	2	3
4. Name and address		
5. Existing and proposed business		
6. Share holding pattern and Management Structure	(to be attached along- with the application)	(to be attached along- with the application)
7. Whether listed		
8. Details of the proposed investment. (Indicate number of shares to be acquired, face value, premium (if any) and total value.)		
9. Sources from which investment is proposed to be funded.		

Amount Rs./US \$:

- (a) From Internal Accruals :
 (b) By expanding capital base :
 (c) EXIM Bank Loan :
 (d) By transfer Assets/Property/Undertaking :
 (e) Any other method (to be specified) :

Total :

10. Whether the Members and the Board of Directors of the Applicant company have Passed Resolutions, as required under Section 372(4) and (5) for making the proposed investment.
11. In case the investee company is going to take up a new project : indicate broad areas of operation.
12. Valuation of Shares of the investee company:
(To be submitted where shares are being acquired at a premium or when the investee company is a loss making company. A Certificate from a Chartered Acct./Approved Valuer to be attached)
 (i) Market Value :
 (ii) Yield Value :
 (iii) Break-up Value :
 (iv) Fair Value :
13. Justification for purchase of shares at premium/
higher value than fair value.

51521197-3

14. Availability of funds with the applicant company:

Details	As on	
	Amount	Remarks
1	2	3
(a) Subscribed Capital/Paid up Capital		
(b) Free Reserves (to be listed)		
(c) Total :		
(d) Loan/deposits already lent by the Company		
(e) Existing Investments		
(f) Investment involved in this proposal.		
(g) Total : (d+e+f)		
(h) Percentage of Column (g) in relation to Column (h)		

15. If the applicant company already holds shares of the investee company, indicate the percentage of this holding with, reference to total paid up share capital of the investee company. Indicate the percentage of shares applicant company will hold in the investee company after the proposed investment takes place.

16. Whether there has been any default in the repayment of any deposit or part thereof or any interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit referred to in section 58A of the Companies Act, 1956. If yes, the details thereof.

List of documents to be attached, (to the extent applicable)

- (1) Latest available Audited Accounts with Auditors Report and Directors' Report of both the applicant company and the investee company.
- (2) Copies of the resolutions passed under section 372(4) and section 372(5) by the applicant company.
- (3) A copy of the resolution under section 81(1A) passed by the investee company.
- (4) Copies of approval of Foreign Collaboration agreement by Ministry of Industry, and approval of Reserve Bank of India.
- (5) Copy of the resolution(s) under section 293 where transfer of undertakings is involved

VERIFICATION

It is hereby certified that the information given above and in the attached documents are true to the best of my knowledge and belief.

Place :
Date :
SEAL :

Signature :
Name :
Designation :

[File No. 1/4/97-CL. V]
R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Footnote : The Principal rules were published vide S.R.O. 432 dated 18-2-56 and subsequently amended by :—

1. SRO 2535 dated 1-11-1956
2. SRO 3135 dated 21-12-1956
3. SRO 237 dated 19-1-1957
4. SRO 2105 dated 29-1-1957

5. SRO 3038 dated 28-09-1957
6. SRO 3867 dated 7-12-1957
7. GSR 48 dated 22-2-1958
8. GSR 723 dated 23-8-1958
9. GSR 750 dated 30-8-1958
10. GSR 1026 dated 1-11-1958
11. GSR 14 dated 3-1-1959
12. GSR 548 dated 9-5-1959
13. GSR 1140 dated 17-10-1959
14. GSR 1224 dated 7-11-1959
15. GSR 1364 dated 12-12-1959
16. GSR 220 dated 27-2-1960
17. GSR 595 dated 28-5-1960
18. GSR 195 dated 18-2-1961
19. GSR 814 dated 24-6-1961
20. GSR 1105 dated 9-9-1961
21. GSR 1408 dated 25-11-1961
22. GSR 653 dated 12-5-1962
23. GSR 344 dated 2-3-1963
24. GSR 628 dated 13-4-1963
25. GSR 97 dated 16-1-1965
26. GSR 822 dated 12-6-1965
27. GSR 1570 dated 30-10-1965
28. GSR 368 dated 19-3-1966
29. GSR 421 dated 18-3-1966
30. GSR 499 dated 9-4-1966
31. GSR 743 dated 21-5-1966
32. GSR 847 dated 4-6-1966
33. GSR 1266 dated 13-8-1966
34. GSR 130 dated 20-1-1968
35. GSR 667 dated 30-6-1973
36. GSR 327(E) dated 10-6-1975
37. GSR 414(E) dated 16-7-1975
38. GSR 2596 dated 1-11-1975
39. GSR 2828 dated 13-12-1975
40. GSR 154 dated 31-1-1976
41. GSR 248(E) dated 24-3-1976
42. GSR 627 dated 14-5-1977
43. GSR 24(E) dated 9-1-1979
44. GSR 1256 dated 6-10-1979
45. GSR 555(E) dated 4-9-1982
46. GSR 479(E) dated 22-4-1988
47. GSR 694(E) dated 10-6-1988
48. GSR 782(E) dated 13-7-1988
49. GSR 908(E) dated 7-9-1988
50. GSR 1032(E) dated 26-10-1988
51. GSR 449(E) dated 17-4-1989
52. GSR 510(E) dated 24-5-1990
53. GSR 795(E) dated 18-9-1990
54. GSR 289(E) dated 31-5-1991
55. GSR 614(E) dated 3-10-1991
56. GSR 754(E) dated 26-12-1991
57. GSR 312(E) dated 6-3-1992
58. GSR 353(E) dated 26-3-1992
59. GSR 484(E) dated 11-5-1992
60. GSR 581(E) dated 27-8-1993

-
61. GSR 621(E) dated 24-9-1993
 62. GSR 286(E) dated 1-3-1994
 63. GSR 598(E) dated 28-7-1994
 64. GSR 697(E) dated 20-9-1994
 65. GSR 283(E) dated 21-3-1995
 66. GSR 424(E) dated 26-5-1995
 67. GSR 251(E) dated 21-6-1996
 68. GSR 97(E) dated 28-2-1997
-